



99





न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

सिग - 1371-I-16

श्री. जी. के. तिवारी एड
तारीख 2-5-2016
प्रस्तुत


2-5-16
राजस्व मण्डल ग्वालियर


9-5-2016

1. गोपाल पुत्र गिरधारी जाति-गुर्जर,
निवासी-ग्राम दलारना, तहसील व जिला
श्योपुर (म.प्र.)

2. रामलखन पुत्र सियाराम मीणा निवासी-
ग्राम दलारना, तहसील व जिला श्योपुर

— आवेदकगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र गिरधारी जाति-गुर्जर,
निवासी-ग्राम दलारना, तहसील व जिला
श्योपुर (म.प्र.)

2. रमेश पुत्र नागाराम जाति-गुर्जर, निवासी-
ग्राम दलारना, तहसील व जिला श्योपुर

— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध

आदेश दिनांक 18-04-2016 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर


जिला श्योपुर प्रकरण क्रमांक 58/13-14 अ.मा.

महोदय,

श्रीमान् जी के समक्ष निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1- यह कि, ग्राम दलारना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 109/2 रकवा 1 बीघा 10
विस्वा, सर्वे क्रमांक 222, 223, 224 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा, सर्वे क्रमांक
269/2, 270/2, 270/1 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा भूमि राजस्व कागजात में




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1371-एक/16

जिला - श्योपुर

रयान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला श्योपुर</u></p>	